माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,

निगरानी **(Revision)** प्रकरण कमांक.........

III/निगरानी/सतना/भू-रा/2017/1928

22

20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

ओम प्रकाश तिवारी तनय स्व0 गोवर्धन प्रसाद तिवारी, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम रोहनियॉ, तहसील मैहर, जिला सतना (म0प्र0)———————— निगरानीकर्ता/आवेदक

(अपीलार्थी)

बनाम

1. गुलाब प्रसाद
2. द्वारिका प्रसाद

} पुत्रगण स्व0 सीताराम, ब्रा0

3. गीता
4. चिक्लो
5. गल्लो

} पुत्रियॉ स्व0 सीताराम, ब्रा0

सभी निवासी ग्राम यदुवीर नगर, मैहर तह0 मैहर, जिला सतना (म0प्र0)————गैरनिगराकार/अनावेदकगण

(रेस्पाडेन्टस)

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 1393/अपील/015–16 आदेश दिनॉक 14.06.2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 13 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता निरस्त किया गया।

अपीलार्थी की अपील विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी मैहर, जिला सतना प्रकरण कमांक 69/अपील/013–014 प्रसारित आदेश दिनॉक 24.08.2016 जिसके द्वारा तहसीलदार मैहर, जिला सतना के प्रकरण कमांक

58/अ–6/012–13 आदेश दिनॉक 02.09.2013 को निरस्त किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता, 1959 ई.।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III/निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / 1928

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5—7—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14—6—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेशिका से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक द्वारा प्रकरण मंगाये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख अपर आयुक्त के समक्ष प्राप्त हो चुके हैं । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	N.F. 5-7-2017